



कार्यालय



अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड

सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना

फोन नं - 06122504915, 9470003587 E-mail-newgardinerhosp@gmail.com


ज्ञापांक... 531.../

पटना दिनांक..... 16/7/21/

निविदा आमंत्रण सूचना

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई हेतु निविदा

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्युटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वितीय निविदा अलग—अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई, हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सिर्फ निर्बंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को खोलने का समय निर्धारित कर निविदादाताओं को ई—मेल अथवा भोवाईल के माध्यम से सूचित किया जायेगा, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वितीय शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में New Gardiner Road Super Specialty Hospital, Patna के नाम से ₹ 100/- का डिमाण्ड नॉफ्ट (Non Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना के कार्यालय के कक्ष में जमा करने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती है। तत्पश्चात ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें। विस्तृत जानकारी के लिए न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल पटना के वेबसाईट (<https://gardinerroadhospital.in/>) पर भी देखा जा सकता है।


अधीक्षक
न्यू गार्डिनर रोड
सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना

कार्यालय
अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड
सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना।



E.mail- newgardinerhosp@gmail.com

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई हेतु निविदा

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई, हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कपड़ों की धुलाई, हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर सिर्फ निर्बंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को खोलने का समय निर्धारित कर निविदादाताओं को E.mail अथवा मोबाइल के माध्यम से सूचित किया जायेगा, निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्तें कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में New Gardiner Road Super Speciality Hospital, Patna के नाम से ₹ 100/- का डिमाण्ड न्यूरॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होगें। विस्तृत जानकारी के लिए न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना के वेबसाईट पर <http://gardinerroadhospital.in/> पर देखा जा सकता है।

- (क) अस्पताल अन्तर्गत उपयोग में आने वाली सभी स्तर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन कराने से संबंधित कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है :-
- (01) सरकार द्वारा निर्धारित सातो रंग का प्रत्येक बेड के बेडशीट (चादर) एवं तकिया का कवर प्रत्येक दिन धोना एवं ऑयरन करना होगा।
 - (02) प्रत्येक बेड का कम्बल, मछरदानी पर्दा, आदि आवश्यकतानुकूल धोना एवं ऑयरन करना होगा।
 - (03) प्रत्येक बेड का गद्दा को आवश्यकतानुकूल धोना एवं सेनेटाइज करना होगा।
 - (04) ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन करना होगा।
 - (05) कपड़ों की धुलाई एवं ऑयरन करने हेतु सारी व्यवस्था अस्पताल परिसर में ही करना होगा।
 - (06) कपड़ा धोने हेतु अस्पताल परिसर में ही Commercial Washing Machine ब्रांडेड कम्पनी का लगाना होगा।
 - (07) कपड़ा धुलाई में Detergent Powder, Separate carts for transport & storage of dirty and washed linen, Disinfectant, Acetone, Ammonia, Hydrogen Peroxide and Bleech का उपयोग करना होगा।
 - (08) किसी कारणवश कपड़ा कट या फट जाता है तो उक्त परिस्थिति में ससमय कपड़ा की रफ़्/सिलाई करने हेतु (मशीन एवं धागा सहित) एक दर्जा (ऑन कॉल) कार्यालय अधिकृत तक रखना होगा।
 - (09) वैशिक महामारी/आपातकाल के समय सरकार की शर्तोनुकूल कार्य करना होगा, जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - (10) सभी कर्मी/श्रमिकों द्वारा न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, पटना छपा हुआ निर्धारित पोशाक सहित टोपी, मास्क एवं दस्ताना पहनकर हीं संबंधित कार्य का निष्पादन करना होगा।
- (ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण-पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।
- (01) निविदादाता द्वारा निर्गत तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।
 - (02) गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अधीन निर्बंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निर्बंधित होना चाहिए अथवा फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का विहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निर्बंधित होना चाहिए, का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

- (03) निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में ₹०-५०,०००/- (पच्चास हजार रु०) मात्र (दयनित संस्था का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जो Director, New Gardiner Road Super Speciality Hospital, Patna के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (04) ESI निवंधन प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (05) EPF निवंधन प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (06) बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैटिक्समेंट एक्ट “1953” के अधीन निवंधन प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (07) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया-प्रति सलंगन करना होगा। अगर निविदादाता फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का प्रोप्राइटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया-प्रति सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (08) GST No. निवंधन प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (09) उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत अद्यतन निवंधन प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (10) निविदादाता को अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 50,000/- रुपये तक का Solvency Certificate सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (11) Current Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेंट, जो बैंक मैनेजर द्वारा अभिप्रापणित हो) का प्रथम पृष्ठ की प्रति जो निविदा प्रकाशन के बाद बैंक द्वारा निर्गत हो, सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।
- (12) विगत तीन वर्षों का आयकर Return (Assessment Year AY-2018-19, 2019-20, 2020-21) प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा।
- (13) किसी भी क्षेत्र के व्यवसाय में विगत तीन Financial Year (FY- 2017-18, 2018-19, 2019-20) को मिलाकर कुल टर्न ऑवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख रुपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑफिट रिपोर्ट सलंगन करना होगा।
- (14) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र सलंगन करना होगा कि निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में बाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (15) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र सलंगन करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (४ घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं ESIC,EPF की कुल राशि संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
- (16) निविदादाता के आवास (जो वर्तमान में है)। आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण—पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (17) निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (18) निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति सलंगन करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
- (19) निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ—पत्र सलंगन करना होगा कि संस्था पर बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप— यथा (आठट-सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थी तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ सलंगन की गई कागजातों/प्रमाण—पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) नहीं लगा है, शपथ—पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं०	प्रमाण पत्रों, ड्रॉफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरा विवरणी	निवंधन सं०/पत्रांक सं०/अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों की क्रमबार संख्या	कागजातों की कुल संख्या
1	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।			01 To	
2	संस्था का निवंधन प्रमाण पत्र।			To	
3	अग्रधन राशि, 50,000 / रुपये का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट।			To	
4	ESI निवंधन प्रमाण पत्र।			To	
5	EPF निवंधन प्रमाण पत्र।			To	
6	यिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निवंधन प्रमाण-पत्र।			To	
7	पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
8	GST No. निवंधन प्रमाण-पत्र।			To	
9	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन निवंधन प्रमाण पत्र।			To	
10	Solvency Certificate 50,000/- रुपये का।			To	
11	Current Account बैंक स्टेटमेंट एकाउन्ट नं० सहित।			To	
12	विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न (Assessment Year) की प्रति।	2018-19 :-		To	
		2019-20 :-		To	
		2020-21:-		To	
13	विगत तीन Financial Year को मिलाकर कुल टर्न ओवर 2,50,00,000/- (दो करोड़ पच्चास लाख) रुपये की प्रति।	2017-18 :-		To	
		2018-19 :-		To	
		2019-20:-		To	
14	निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा कि निविदादाता पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, शपथ -पत्र।			To	
15	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेंगे एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा मानदेय का भुगतान किया जायेगा एवं ESIC,EPF की कुल राशि संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे, शपथ -पत्र।			To	
16	निविदादाता का आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण-पत्र।			To	
17	निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र।			To	

18	निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति।		X	To	
19	<p>विहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/विहार सरकार के किसी भी विभागों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार का आरोप- यथा (आउट-सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार मौखिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभागों/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की माँग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के अलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) नहीं लगा है, शपथ-पत्र</p>			To	
					कुल योग:-

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का पूरा नाम :-	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों का पूरा पता :-	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :-	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :-	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :-	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :-	
07	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाइडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोबाइल नॉ :-	

निविदादाता का हस्ताक्षर :

(ग) वित्तीय निविदा—आउटसोर्सिंग व्यवस्था के अंतर्गत 24X7 के तहत कपड़ों की धुलाई करने हेतु इच्छुक संस्था द्वारा वित्तीय निविदा में ESI, EPF सहित सामग्रियों से संबंधित सभी खर्च एकमुस्त दर जोड़कर प्रारूप में न्यूनतम दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर L1 का चयन किया जायेगा।

वित्तीय निविदा का प्रारूप

कपड़ों की धुलाई प्रति कपड़ा प्रतिदिन का दर	
बड़ा कपड़ा (बेड सिट, कम्बल, परदा, मच्छरदानी इत्यादि)	छोटा कपड़ा (तौलिया, तकिया कवर, टेबूल क्लाथ, चेयर क्लाथ इत्यादि)

नोट—वित्तीय निविदा में जी0एस0टी0 रहित दर अंकित करना है।

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :-

- (01) निविदादाता द्वारा अपने निविदा आवेदन के साथ संलग्न किया गया सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों/शपथ पत्र में दर्शाई गई सुचना का अस्पताल प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग से सत्यापन कराने व सत्यापन कराने के दौरान सही एवं सत्य पाये जाने के पश्चात् ही संस्था द्वारा किये गये कार्यों के आलोक में संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान संस्था को संरक्षण द्वारा किया जायेगा।
- (02) किसी भी आम नागरिक (नाम या बगैर नाम) द्वारा निविदा शर्तोनुकूल संस्था द्वारा उलंघन कर डाले गये निविदा संबंधित साक्ष्य के तहत संस्था के विरुद्ध अस्पताल प्रशासन को आवेदन प्राप्त होता है तो उक्त परिस्थिति में प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों/साक्ष्य के आधार पर सत्यता की सत्यापन कराने के पश्चात् ही संस्था को संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा अगर सत्यापन के दौरान आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप सही एवं सत्य पाया जाता है तो निविदा शर्तोनुकूल उक्त दिनांक को ही संस्था पर कानूनी कारवाई करते हुए विपत्र पर अंकित राशि एवं जमानत राशि को जब्त करते हुए अगले दस वर्षों तक के लिए संस्था को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
- (03) माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, प्रधान सचिव स्वास्थ्य, सचिव स्वास्थ्य, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, विशेष सचिव, स्वास्थ्य, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य, प्रमंडलीय आयुक्त, पटना, जिला पदाधिकारी, पटना एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय—समय पर की गई अस्पताल की निरीक्षण व अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कराये जा रहे कार्यों के आलोक में असंतोष पाये जाने के उपरांत शिकायत की टिप्पणी की जाती है तो उक्त परिस्थिति में संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- (04) शर्त “ख” के तहत संस्था द्वारा संबंधित कार्य को करने हेतु सक्षम विभाग से बनवाई गई निवंधन प्रमाण पत्र के आलोक में कोई भी संस्था इस निविदा में भाग ले सकते हैं।
- (05) निविदादाता द्वारा अस्पताल का भली—भौति निरीक्षण एवं निविदा में दर्शाई गई सभी बिन्दुवार शर्तों का अवलोकन करने के पश्चात् ही निविदा डाले।
- (06) यदि सरकार द्वारा दिशा निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का पालन करने का अधिकार अस्पताल प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
- (07) निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राइटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (08) कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कर्मियों/श्रमिकों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
- (09) तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त पूरा नहीं करते हैं तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण—पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (10) तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण—पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
- (11) निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निवंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे, जिसका निवंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हो।
- (12) निविदा में दर्शाई गई सभी शर्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।

- (13) आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत की जाने वाली कपड़ा धुलाई का अनुश्रवण रोगी कल्याण समिति के द्वारा किया जायेगा। अगर किसी भी सदस्य के द्वारा कपड़ा धुलाई से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संस्था द्वारा जमा कि गई विपत्र की राशि में से कटौती की जायेगी।
- (14) यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (15) किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (16) यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- (17) आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा।
- (18) कार्यों को सुचारू रूप से संचालन से संबंधित भिन्न-भिन्न प्रकार के सामग्री एवं मशीन का रख-रखाव तथा श्रमिकों को रहने हेतु अस्पताल परिसर में संस्था द्वारा अपने स्तर से व्यवस्था करना होगा।
- (19) निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ-पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरुद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षों तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- (20) संचालक, कर्मी एवं श्रमिकों को अस्पताल पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि श्रमिकों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे श्रमिकों को तत्काल हटाते हुए नए श्रमिकों को संस्था द्वारा रखा जायेगा।
- (21) निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/-NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 21 दिनों के अन्दर निविदा शर्तोनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।
- (22) अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है।
- (23) अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- (24) प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय सहित ESIC,EPF का भुगतान संस्था द्वारा (विपत्र के साथ श्रमिकों को संस्था द्वारा कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैंक पासबुक सहित ESIC,EPF से संबंधित जमा की गई राशि का चलान कि छायाप्रति संलग्न करना होगा) करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा निर्धारित समय पर संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में श्रमिकों को भुगतान करने कि तिथि तक ₹0 5000/-प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।
- (25) L1 दर वाले चयनित संस्था प्रतिमाह जो विपत्र समर्पित करेंगे वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित जी०एस०टी० (विपत्र में जी०एस०टी० दर का भी उल्लेख करना होगा) सहित होना चाहिए।
- (26) संस्था द्वारा पिछले माह का जमा की गई कर्मियों, श्रमिकों का मानदेय एवं ESIC,EPF तथा सभी प्रकार के कर कि चलान विपत्र के साथ संलग्न करना होगा, तत्पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
- (27) L1 दर से लेकर वित्तीय निविदा में सभी संस्था द्वारा क्रमवार अंकित दर के आधार पर एक पैनल बनाकर कार्यालय में रखा जायेगा बीच में कार्य छोड़कर जाने वाले संस्था से हुई रिक्तियों को इसी पैनल के L2 दर अंकित करने वाले संस्था से L1 के दर पर उक्त कार्य कराया जायेगा, यदि L1 के दर पर L2 दर अंकित करने वाला संस्था असमर्थता जताती है तो उक्त परिस्थिति में L3 से लेकर सभी तकनीकी रूप से सफल संस्था से L1 दर के आधार पर कार्य करने हेतु मौका दिया जायेगा, साथ ही साथ L1 दर अंकित करने वाले निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि अस्पताल प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।
- (28) श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति संस्था द्वारा संधारित करना होगा, बिना पोशाक में श्रमिकों कार्य करते हुए पकड़े जाने पर प्रति कर्मी एक हजार रुपये प्रतिदिन के दर से संस्था द्वारा जमा किया गया विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती कर लिया जायेगा।

- (29) तकनीकी रूप से सफल होने के पश्चात् अगर कोई संस्था वित्तीय निविदा में L1 दर हो जाता है, के आलोक में उक्त संस्था द्वारा जमा कि गई तकनीकी निविदा के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान नाम/पता वर्गैरह (निबंधन संख्या में नहीं सिर्फ नाम/पता में) में किसी भी प्रकार कि शब्दों में कुछ गलती लिखा हुआ पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा होने की तिथि से तीन माह के अन्दर संबंधित निर्गत विभाग से नाम एवं पता में सुधार करा कर कार्यालय में जमा करना होगा। अन्यथा संस्था द्वारा जमा कि गई जमानत राशि एवं विपत्र पर अंकित राशि को जब्त करते हुए एकरारनामा रद्द कर दिया जायेगा तथा L2 दर अंकित करने वाले संस्था को L1 दर पर कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा।
- (30) अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी एवं लगाई गई सभी प्रकार के (सेवा विस्तार नहीं होने के आलोक में) सामग्री एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा। तत्पश्चात् ही 36वाँ माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमाण्ड ड्रॉफ्ट का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्रवाई किया जायेगा।
- (31) चयनित संस्था द्वारा श्रमिक एवं अन्य कर्मी के आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण-पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
- (32) बाल श्रम तथा अन्य अपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाई की जायेगी।
- (33) अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।
- (34) विशेषज्ञ द्वारा जॉचोपरांत प्रदूषण फैलाने जैसी शिकायत अगर मिलता है अथवा शर्तोनुकूल कार्य सही नहीं पाये जाने, जैसी शिकायत प्राप्त होने पर अस्पताल प्रशासन के गठित समिति द्वारा जॉचोपरांत दोषी पाये जाने के पश्चात् संस्था से बिना कोई स्पष्टीकरण पूछे अस्पताल प्रशासन द्वारा उक्त माह का संस्था द्वारा जमा की गई विपत्र पर अंकित राशि में से दस (10) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- (35) किसी कारण से कार्यादेश निर्गत नहीं होने के आलोक में वित्तीय निविदा खोलने के 120 दिन तक ही निविदा कि वैद्यता होगी।

नोट :-

- (I) निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नहीं करेंगे एवं शपथ-पत्र क्रमवारनुकूल अलग-अलग बना होना चाहिए।
- (II) जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा आउट-सोर्सिंग से संबंधित कार्य करने में लापरवाही करने के कारण सक्षम पदाधिकारियों द्वारा बार-बार भौतिक कहने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं होने के पश्चात् अस्पताल प्रशासन अथवा अन्य विभाग/कार्यालयों के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा तीन या उससे अधिक बार स्पष्टीकरण की मांग के तहत प्राप्त असंतोष जवाब एवं असंतोष जवाब होने के आलोकनार्थ तीन या उससे अधिक बार विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातों/प्रमाण-पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं।
- (III) निविदा आवेदन के साथ सभी शर्तों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व० अभिप्राणित छाया-प्रति का क्रमवार नम्बरिंग (स्व० अभिप्राणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण उक्त निविदादाता का निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा) करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलवंद कर जमा करना होगा।
- (IV) नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए। अगर निविदादाता द्वारा इसका उलंघन किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् किसी भी समय संस्था द्वारा कि गई उलंगन का पता चलता है तो उक्त परिस्थिति में कार्यादेश एवं एकरारनामा रद्द करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जगा की गई राशि जब्त करते हुए कानुनी कार्रवाई की जाएगी।

अधीक्षक

न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी
अस्पताल, पटना